भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 703
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

दिव्यांग माता-पिता द्वारा बच्चों को गोद लेना

703. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिव्यांग संभावित दत्तक माता-पिता (पीएपी) द्वारा राज्यवार, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में गोद लिए गए बच्चों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या दिव्यांग संभावित दत्तक माता-पिता और गैर-दिव्यांग भावी दत्तक माता-पिता द्वारा गोद लिए गए बच्चों की संख्या में कोई बड़ा अंतर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने दिव्यांग संभावित दत्तक माता-पिता द्वारा गोद लेने के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कोई योजना/पहल शुरू करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने दिव्यांग संभावित दत्तक माता-पिता के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं/ चिकित्सा अधिकारियों/दत्तक एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए कोई शैक्षिक अभियान/कार्यक्रम शुरू किया है/शुरू करने की योजना बनाई है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): दिव्यांग भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों की संख्या के बारे में केन्द्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते है। न ही कोई कानूनी

आवश्यकता है और न ही दिव्यांगता के आधार पर भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को वर्गीकृत करने के लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् बच्चों के दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में कोई प्रावधान है।

(ग): नहीं। हालाँकि, जेजे अधिनियम 2015 की धारा 2(9) में बच्चे का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के विनियमन 5(1) में यह प्रावधान है कि भावी दत्तक ग्रहणकर्ता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। उनको जीवन को खतरा पहुँचाने वाली चिकित्सा स्थिति न हो और उन्हें किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में दोषी न ठहराया गया हो या बाल अधिकार उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी घोषित न किया गया हो।

(घ) और (ड.): केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) राज्य सरकारों के सहयोग से दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाओं के बारे में प्रमुख हितधारकों, चिकित्सा अधिकारियों और दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से जागरूकता और आउटरीच गतिविधियाँ संचालित करता है। इस उद्देश्य के लिए, कारा नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है जिसमें साप्ताहिक वर्चुअल पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) कार्यक्रम शामिल हैं जो पूरे देश के लिए सुलभ है।

****